प्रेस विज्ञप्ति
31.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2022 के कोयंबटूर बम विस्फोट मामले से संबंधित धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1) के अंतर्गत दिनांक 30.07.2026 को चेन्नई, कोयंबटूर, मुंबई तथा हैदराबाद में स्थित 15 आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने अपनी जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की, जो 23.10.2022 को कोयंबटूर स्थित प्राचीन अरुल्मिगु कोट्टई संगमेश्वरर तिरुकोविल मंदिर के निकट हुए आत्मघाती वीबी-आईईडी विस्फोट से संबंधित हैं। यह विस्फोट आत्मघाती हमलावर जेम्शा मुबीन द्वारा किया गया था, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। मुबीन एवं अन्य आरोपियों ने मोहम्मद अजारुद्दीन की गिरफ्तारी का बदला लेने के उद्देश्य से यह हमला किया था, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। स्वयं मोहम्मद अजारुद्दीन एक कट्टरपंथी उपदेशक था, जो धार्मिक कक्षाएं संचालित करता था, आईएसआईएस के समर्थन का प्रचार करता था तथा प्रतिभागियों को भारत में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था।

बम विस्फोट मामले के कुल 12 आरोपी, जिनमें जेम्शा मुबीन एवं मोहम्मद अजारुद्दीन शामिल हैं, जमील बाशा के छात्र थे, जो मद्रास अरबी कॉलेज (जिसे कोवाई अरबी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है) का प्रवर्तक है। बाशा अरबी भाषा की कक्षाएं संचालित करने की आड़ में खिलाफत की विचारधारा, जिहाद के माध्यम से शहादत तथा भारत में एक इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए हिंसा एवं सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करता था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने अगस्त, 2021 से जून, 2022 के बीच अपनी आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए फर्जी कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण-पत्र घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले के तहत उन्होंने तमिलनाडु एवं मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को, जो टीकाकरण कराए बिना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते थे, धन के बदले फर्जी कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए। इस गतिविधि से अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का उपयोग सीधे विस्फोटक सामग्री की खरीद के साथ-साथ मद्रास अरबी कॉलेज/कोवाई अरबी कॉलेज की गतिविधियों के समर्थन में किया गया।

इसके अतिरिक्त, जमील बाशा ने मद्रास अरबी कॉलेज/कोवाई अरबी कॉलेज की गतिविधियों के लिए अपने पूर्व छात्रों, निवेशकों एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त दान तथा व्यावसायिक निवेश के माध्यम से धन एकत्र किया। इस धन का उपयोग अरबी शिक्षा की आड़ में ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित करने तथा भोले-भाले युवाओं को उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि जमील बाशा द्वारा मद्रास अरबी कॉलेज/कोवाई अरबी कॉलेज के माध्यम से अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का उपयोग अरबी कक्षाओं के आयोजन, विदेश यात्राओं तथा व्यक्तिगत व्यय एवं निवेश के लिए किया गया।

तलाशी कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, आरोपियों के मौद्रिक लेन-देन तथा अचल संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए।

मामले में आगे की जांच जारी है।